भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3832

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का रखरखाव

3832. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के रख-रखाव, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और अन्य विकास कार्यों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ववर्ती और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को आवंटित की गई निधियों का तिथिवार, योजनावार और निधिवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि को केवल उन्हीं योजनाओं पर खर्च किया है जिनके लिए वह आबंटित की गई थी; और

(ङ) क्या आवंटित निधियों का किन्हीं अन्य योजनाओं में विपथन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'उपनिवेशीकरण' राज्य के विषय हैं। मलिन बस्तियों से संबंधित योजनाएं और विकास कार्य तथा उनके नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना जैसे कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) विभिन्न मिशनों जैसे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी

(एसबीएम-यू), आदि के माध्यम से मलिन बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में आवास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाता है।
एएमआरयूटी के तहत, एमओएचयूए ने पूरे मिशन अवधि के लिए ₹77,640 करोड़ की राशि के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दी है, जिसमें ₹35,990 करोड़ की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है। परियोजनाओं के लिए ₹35,990 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के मुकाबले अब तक 34,869.15 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है।

पिछले 05 वर्षों से ₹21,656 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। **(अनुलग्नक I)**। अमृत 2.0 के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के मुकाबले अब तक 11,756.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं **(अनुलग्नक II)**।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून, 2015 से पीएमएवाई-यू को लागू कर रहा है, ताकि मलिन बस्तियों में रहने वालों सहित शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.23 लाख घरों की नींव रखी जा चुकी है और 88.31 लाख घर पूरे हो चुके हैं एवं 02.12.2024 तक शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों सहित सभी लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। योजना के तहत स्वीकृत कुल घरों में से लगभग 29 लाख घर मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

एसबीएम-यू का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों सहित शहर की पूरी आबादी को लाभान्वित करना है और यह शहर के किसी विशेष क्षेत्र/खंड तक सीमित नहीं है। एसबीएम-यू के तहत, मलिन बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों के सभी नागरिकों के लिए जरूरत के आधार पर सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत निधि पूर्ण मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है न कि वार्षिक आधार पर। एसबीएम-यू (2014-2021) और एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026) के तहत आवंटित निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत एवं जारी की जाती है तथा व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है।

*****

अनुलग्नक- I

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का रखरखाव के संबंध में दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3832 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अमृत के तहत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार जारी निधियाँ

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	वित्तीय वर्ष					
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.82	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1056.62	246.69	0.00	0.00	76.37	107.13	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	126.22	17.63	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
4	असम	591.42	0.00	0.00	179.64	258.84	0.00	0.00
5	बिहार	1164.8	0.00	685.93	0.00	0.00	90.28	0.00
6	चंडीगढ़	54.09	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1009.74	145.67	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दादरा एवं नगर हवेली	10.82	4.27	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
	दमन और दीव	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	802.31	151.55	0.00	206.20	0.00	155.53	0.00
10	गोवा	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41.84	0.00
11	गुजरात	2069.96	1074.58	0.00	73.60	0.00	300.00	0.00
12	हरियाणा	764.51	289.71	147.18	147.18	0.00	9.43	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	274.07	60.23	56.73	66.71	0.00	0.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	500.62	116.95	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
15	लद्दाख	79.19	37.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
16	झारखंड	566.17	135.22	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00
17	कर्नाटक	2318.79	710.54	280.50	125.93	0.00	0.00	0.00
18	केरल	1161.2	194.74	399.25	119.62	0.00	207.23	0.00
19	लक्षद्वीप	3.61	0.70	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2592.86	925.00	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	3534.08	0.00	1243.73	330.00	0.00	0.00	249.94
22	मणिपुर	162.28	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	72.12	0.00	0.00	22.69	39.42	0.00	0.00
24	मिजोरम	126.22	0.00	45.27	0.00	0.00	5.65	0.00
25	नागालैंड	108.19	12.03	0.00	43.52	0.00	30.69	0.00

26	ओडिशा	796.97	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पुदुचेरी	64.91	12.73	9.19	9.19	19.66	0.00	0.00
28	पंजाब	1204.47	0.00	121.44	623.57	0.00	204.87	0.00
29	राजस्थान	1541.95	143.91	586.54	0.00	0.00	53.26	0.00
30	सिक्किम	36.06	5.30	0.00	18.55	0.00	2.97	0.00
31	तमिलनाडु	4756.58	377.16	278.84	1454.55	0.00	828.95	0.00
32	तेलंगाना	832.6	178.82	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	133.43	0.00	26.21	79.58	0.00	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	4922.46	226.03	964.37	1418.72	566.88	460.21	0.00
35	उत्तराखंड	533.72	122.01	113.39	147.02	0.00	0.00	0.00
36	पश्चिम बंगाल	1929.32	153.30	245.82	675.26	0.00	0.00	0.00
	कुल	36035.79*	5685.63	6146.74	6112.88	961.17	2499.83	249.94

(जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता के कारण इसे 36,035.79 करोड़ रुपए में परिवर्तित किया गया और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद संशोधित कर 100% किया गया)।

अनुलग्नक- II

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का रखरखाव के संबंध में दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3832 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार जारी निधियां

(आँकड़े करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (परियोजनाएं)	वित्तीय वर्ष				कुल योग
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51
2	आंध्र प्रदेश	2948	0.00	213.12	376.43	0.00	589.55
3	अरुणाचल प्रदेश	226	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50
4	असम	775	0.00	56.65	0.00	0.00	56.65
5	बिहार	2628	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
6	चंडीगढ़	170	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
7	छत्तीसगढ़	1303	0.00	148.40	0.00	0.00	148.40
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	30	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
9	दिल्ली	2885	0.00	211.41	0.00	71.25	282.66
10	गोवा	85	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76
11	गुजरात	4512	0.00	602.73	0.00	702.74	1305.47
12	हरियाणा	1496	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
13	हिमाचल प्रदेश	256	0.00	0.00	51.56	51.11	102.67
14	जम्मू और कश्मीर	867	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60
15	झारखंड	1183	98.23	6.29	0.00	0.00	104.52
16	कर्नाटक	4628	0.00	614.37	0.00	311.23	925.60
17	केरल	1374	0.00	148.74	0.00	0.00	148.74
18	लद्दाख	128	0.00	11.70	0.00	0.00	11.70
19	लक्षद्वीप	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	4065	130.08	153.77	0.00	0.00	283.85
21	महाराष्ट्र	9310	0.00	1140.68	0.00	691.28	1831.96
22	मणिपुर	170	0.00	0.60	16.45	0.00	17.05
23	मेघालय	111	0.00	21.69	43.38	0.00	65.07
24	मिजोरम	143	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
25	नागालैंड	176	0.00	0.00	35.19	0.00	35.19

26	ओडिशा	1373	127.47	101.92	126.00	45.24	400.63
27	पुदुचेरी	150	0.00	12.42	16.40	0.00	28.82
28	पंजाब	1836	0.00	254.69	0.00	0.00	254.69
29	राजस्थान	3552	0.00	95.53	213.75	386.17	695.45
30	सिक्किम	40	0.00	0.00	3.62	4.38	8.00
31	तमिलनाडु	4942	0.00	398.13	447.73	769.07	1614.93
32	तेलंगाना	2789	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33	त्रिपुरा	157	0.00	18.42	46.51	0.00	64.93
34	उत्तर प्रदेश	8161	0.00	521.41	156.66	618.60	1296.68
35	उत्तराखंड	585	0.00	42.08	0.00	28.84	70.92
36	पश्चिम बंगाल	3658	0.00	495.65	0.00	0.00	495.65
	कुल	**66750**	**455.78**	**5461.99**	**2146.94**	**3691.42**	**11756.13**

अनुलग्नक-III

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का रखरखाव के संबंध में दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3832 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	32,568.27	23,800.26	20,579.43
2		बिहार	4,950.45	3,537.49	3,055.05
3		छत्तीसगढ़	4,810.98	4,266.60	3,940.62
4		गोवा	74.76	75.04	75.04
5		गुजरात	21,064.34	19,805.76	19,675.00
6		हरियाणा	2,171.64	1,673.50	1,417.92
7		हिमाचल प्रदेश	215.95	209.69	205.90
8		झारखंड	3,603.31	2,987.87	2,816.87
9		कर्नाटक	10,614.43	7,168.13	6,991.17
10		केरल	2,781.18	2,330.70	2,197.15
11		मध्य प्रदेश	15,930.45	15,284.69	14,911.03
12		महाराष्ट्र	25,548.21	19,323.37	18,317.91
13		ओडिशा	3,176.98	2,574.90	2,429.31
14		पंजाब	2,342.54	1,885.68	1,775.61
15		राजस्थान	5,891.67	4,853.46	4,664.57
16		तमिलनाडु	11,185.30	10,188.58	10,134.96
17		तेलंगाना	4,475.66	3,718.27	3,554.28
18		उत्तर प्रदेश	27,962.68	27,118.30	26,319.20
19		उत्तराखंड	1,176.51	976.61	906.88
20		पश्चिम बंगाल	10,773.50	7,866.62	7,487.89
उप-योग राज्य:-			**1,91,318.80**	**1,59,645.54**	**1,51,455.78**
21	उत्तर पूर्व राज्य	अरुणाचल प्रदेश	182.38	161.18	146.33
22		असम	2,674.26	2,105.42	2,061.74
23		मणिपुर	841.39	496.91	468.53
24		मेघालय	72.35	46.21	31.80
25		मिजोरम	607.80	447.22	412.27

26		नगालैंड	503.91	393.41	349.83
27		सिक्किम	6.13	7.09	4.30
28		त्रिपुरा	1,494.35	1,292.99	1,219.61
उप-योग (उ.पू. राज्य) :-			**6,382.57**	**4,950.42**	**4,694.42**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.84	2.93	2.88
30		चंडीगढ़	28.78	28.78	28.78
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	214.40	204.56	194.30
32		दिल्ली	692.53	692.53	692.53
33		जम्मू और कश्मीर	724.94	483.48	426.49
34		लद्दाख	30.22	24.38	18.76
35		लक्षद्वीप	-	-	-
36		पुदुचेरी	254.12	223.19	170.65
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र) :-			**1,950.84**	**1,659.85**	**1,534.39**
कुल योग :-			**2.00 लाख करोड़**	**1.66 लाख करोड़**	**1.58 लाख करोड़**

अनुलग्नक IV

शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का रखरखाव के संबद्ध में दिनांक 18.12.2024 को श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3832 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एसबीएम-यू (2014-2021) और एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026) के तहत आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (आंकड़े करोड़ रु. में)			
क्र.सं.	राज्य	मिशन आवंटन	
		एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम-यू 2021-2026)
1	अंडमान और निकोबार	3.52	8.60
2	आंध्र प्रदेश	571.33	1413.30
3	अरुणाचल प्रदेश	36.28	129.00
4	असम	244.30	503.50
5	बिहार	556.68	1204.80
6	चंडीगढ़	28.02	45.20
7	छत्तीसगढ़	357.85	727.30
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	6.71	31.20
9	दिल्ली	349.75	1192.60
10	गोवा	17.09	77.80
11	गुजरात	834.15	1918.90
12	हरियाणा	287.08	645.70
13	हिमाचल प्रदेश	43.95	156.70
14	जम्मू और कश्मीर	200.63	429.90
15	झारखंड	258.71	519.00
16	कर्नाटक	820.96	2245.30
17	केरल	219.99	875.10
18	लद्दाख	0.00	62.70
19	मध्य प्रदेश	920.04	2200.20
20	महाराष्ट्र	1677.80	3758.50
21	मणिपुर	83.10	96.20
22	मेघालय	24.12	67.30

23	मिजोरम	49.02	82.50
24	नागालैंड	53.49	158.88
25	ओडिशा	372.02	821.40
26	पुदुचेरी	28.94	83.21
27	पंजाब	364.02	1054.20
28	राजस्थान	705.46	1765.80
29	सिक्किम	11.52	19.40
30	तमिलनाडू	1200.50	3296.70
31	तेलंगाना	413.74	1067.30
32	त्रिपुरा	100.37	85.30
33	उत्तर प्रदेश	1740.98	4073.80
34	उत्तराखंड	112.00	343.40
35	पश्चिम बंगाल	911.34	1449.30